

पीछे हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नो व तारीख अहकाम जो  
इस हुकम की तारीख में  
जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 45/2011 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2011/00023)

अनवान:

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी आसपालसर  
तहसील सरदारशहर जिला चूरु।


बनाम

1. मघाराम पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी चक 5 डी एल  
तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छतरगढ़।



13.08.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित।  
अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई।  
बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट  
उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की  
तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती  
है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती  
है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ  
न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर  
पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को  
सुनाया गया।

  
(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर